कार्यालय जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग , बून्दी

कलेक्ट्रेट परिसर, बून्दी फोन नं. 0747–2442061 (Email Id:- bund.mino@gmail.com)

क्रमांकः–अ.स.मा.वि. / छात्रवृति / 2019–20 / 584–588 दिनांकः–

अतिआवश्यक

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक (मुख्यालय)
समस्त प्राचार्य, राजकीय / निजी महाविद्यालय
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
अधीक्षक, आईटीआई, समस्त
प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय, समस्त
प्राचार्य, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, समस्त
प्राचार्य, पोलिटेक्निक महाविद्यालय
समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक राउमावि / निजी विद्यालय
जिला बून्दी

विषय :– वर्ष 2019–20 में अल्पसंख्यक छात्रवृति एंव शिक्षण संस्थाओं के पोर्टल पर पंजीयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2019–20 में अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स (नवीन+नवीनीकरण) छात्रवृति के योजनान्तर्गत **विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.10.2019** निर्धारित की है तथा **शिक्षण संस्थाओं के स्तर से स्कुटनी / वेरिफीकेशन करने की अन्तिम तिथि 15.11.2019** निर्धारित है।

शिक्षण संस्थाओं हेतु निम्न कार्यवाही अप्रेक्षित है –

1. सभी विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्था / महाविद्यालय / विद्यालय स्वंय पंजीयन करे और संचालित कोर्स की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इंद्राज करे, जिससे संबन्धित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकेगे तथा आवेदन पत्र को संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन अग्रेषित (सत्यापन) करे।
2. नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर जिन विद्यालयों / महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के DISE CODE/AISHE CODE वैध नही है, अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये है। इन संस्थाओं द्वारा वैध VALID DISE CODE/AISHE CODE प्राप्त करने पर नैशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करवाया जा सकता है।

3. पोर्टल पर सभी संस्थाओं के पंजीकृत ई–मेल आईडी व मोबाईल नंम्बर Deactivate कर दिए गए है, पुनः पंजीकरण की प्रकिया निम्नानुसार है–
   - शिक्षण संस्था द्वारा नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् होमपेज पर प्रदर्शित अनुसार संस्था रजिस्ट्रेशन फार्म भरे, तत्तपश्चात् ऑनलाईन फार्म सबमिट कर रेफरेन्स आईडी प्राप्त कर इसे नोट कर लेवे। फार्म का प्रिन्ट आउट संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित करवाकर संबंन्धित कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा करावें। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् शिक्षण संस्था को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया जावेगा।
   - संस्था के रजिस्ट्रेशन फार्म की संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा की जावेगी व दूसरी प्रति संस्था को रिकार्ड के लिये सौप दी जावगी। जिसे आवश्यकता पडने पर जिला अथवा नोडल अधिकारी द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
4. सभी विश्वविद्यालयों /संस्थाओं/महाविद्यालयों /विद्यालयों जहॉं कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ रहा है को 31 अगस्त 2019 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होने ऐसा पहले नही किया है)
5. संबन्धित शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्रों को दिनांक 15.11.2019 तक ऑनलाईन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अतः जिले की समस्त शिक्षण संस्थाऐ निर्धारित अवधि में पात्र आवेदकों की शतःप्रतिशत ऑनलाईन स्कुटनी/वेरिफिकेशन कर अग्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करे।

(हमीद उल हक)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बून्दी (राज0)

कमांकः–अ.स.मा.वि./छात्रवृति/2019–20/584–588 दिनांकः–29/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –
1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी
2. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बून्दी
3. श्रीमान मुख्य, जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी, अपने स्तर पर अधिनस्थ अधिकारियों को पाबन्ध करे।
4. कार्यालय प्रति

(हमीद उल हक)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बून्दी (राज0)

235 All office latter in 2019-20